

कार्यालय कलेक्टर-लाइसेंस प्राधिकारी, मेरठ

संख्या 34 / आबकारी / वार्षिक व्यवस्थापन / 2020-21 / मेरठ : दिनांक : 06/05/2020

"विज्ञप्ति"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-मेरठ में प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात् अव्यवस्थित एवं निलम्बित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों, जिनका विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी-75 पाण्डव नगर, मेरठ के सूचना पट्ट, जनपद की वेब-साईट meerut.nic.in अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के पास देखा जा सकता है। दुकानों का व्यवस्थापन दैनिक आधार पर दिनांक 09.05.2020 से अधिकतम 14 दिवस के लिये या सम्बन्धित दुकान के नियमित व्यवस्थापन/निलम्बन समाप्त होने तक, जो पहले हो के लिए किया जायेगा। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की फुटकर बिक्री दुकानों की दैनिक एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस दुकान का 1/365 भाग के आधार पर ऑफर लिया जायेगा। दैनिक व्यवस्थापन वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दैनिक लाइसेंस फीस के आधार पर 14 दिवसों हेतु आगणित एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा।


आवेदक द्वारा आवेदन करते समय एक प्रार्थना पत्र, आफर के प्रारूप में देशी मदिरा हेतु दिये गये आफर में अंकित एम0जी0क्यू0 का रू0 33/- गुणा धनराशि एवं विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों हेतु दिये गये आफर में अंकित लाइसेंस फीस की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, मेरठ के नाम देय होगा, संलग्न करेगा। आवेदनकर्ता प्रार्थना के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं एक नवीनतम फोटोग्राफ भी संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही आवेदक दुकान संचालन हेतु परिसर की व्यवस्था स्वयं करेगा। इच्छुक आवेदक दिनांक-08.05.2020 को सायं: 04:00 बजे तक उपरोक्तानुसार अपने आफर सील बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी-75 पाण्डव नगर, मेरठ अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को प्राप्त करा सकते हैं। प्राप्त आफरों को दिनांक 08.05.2020 को ही सायं 06:00 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जी-75 पाण्डव नगर, मेरठ में खोला जायेगा।

दुकानों का विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	दुकान का नाम	प्रकार	वार्षिक न्यूनतम एम0जी0क्यू0 ब0ली0	एक दिन का न्यूनतम एम0जी0क्यू0 ब0ली0 में	वार्षिक न्यूनतम बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस रू0 में	14 दिन की न्यूनतम बेसिक/लाइसेंस फीस	अभ्युक्ति
1.	ग्राम फफूडा	देशी शराब	40140	110	1175328	45082	अव्यवस्थित
2.	जुरानपुर	देशी शराब	56196	154	1475100	56580	अव्यवस्थित
3.	गणेशपुर	देशी शराब	44868	123	1346004	51628	अव्यवस्थित
4.	लतीफपुर	देशी शराब	16680	46	148500	5696	अव्यवस्थित
5.	महलका	देशी शराब	86400	237	1749132	67090	अव्यवस्थित
6.	अलीपुर	देशी शराब	55776	153	805464	30895	अव्यवस्थित
7.	पूठखास	देशी शराब	57636	158	1728936	66316	निलम्बित
8.	गून	देशी शराब	11988	33	26988	1036	निलम्बित
9.	धोलडी	विदेशी मदिरा	0	0	1060000	40658	अव्यवस्थित
10.	फफूडा	विदेशी मदिरा	0	0	1335000	51206	अव्यवस्थित
11.	कैली	विदेशी मदिरा	0	0	910000	34905	अव्यवस्थित
12.	धीरखेडा	विदेशी मदिरा	0	0	1090000	41809	अव्यवस्थित
13.	इंचौली	विदेशी मदिरा	0	0	1150000	44110	अव्यवस्थित
14.	सिसौली	विदेशी मदिरा	0	0	2440000	93590	अव्यवस्थित
15.	भावनपुर	विदेशी मदिरा	0	0	1290000	49480	अव्यवस्थित

80


16	नंगलामल	विदेशी मदिरा	0	0	1395000	53507	अव्यवस्थित
17	ग्राम हसनपुर	विदेशी मदिरा	0	0	1215000	46603	अव्यवस्थित
18	सलावा	विदेशी मदिरा	0	0	720000	27617	अव्यवस्थित
19	मीरपुर	विदेशी मदिरा	0	0	1135000	43535	अव्यवस्थित
20	किनौनी	विदेशी मदिरा	0	0	1095000	42000	अव्यवस्थित
21	पूठखास	विदेशी मदिरा	0	0	1435000	55042	निलम्बित
22	धीरखेडा	बियर	0	0	405000	15535	अव्यवस्थित
23	फफूडा	बियर	0	0	395000	15151	अव्यवस्थित
24	इंचौली	बियर	0	0	645000	24740	अव्यवस्थित
25	मीरपुर	बियर	0	0	355000	13617	अव्यवस्थित
26	सरधना	भाग	300	1	1725000	66165	अव्यवस्थित


(आलोक कुमार)


जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित उक्त विज्ञापित को जनपद की वेब-साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।


(अनिल ढींगरा)

कलेक्टर-लाइसेंस प्राधिकारी,
मेरठ।


(आलोक कुमार)

जिला आबकारी अधिकारी,
मेरठ।